

पूर्वोत्तर भारत में पर्यावरणीय चुनौतियाँ

प्रलम्बित के लिये:

[जनहति याचिका](#), मेघालय जल निकाय (सुरक्षा और संरक्षण) दशा-नरिदेश, 2023, [गारो-खासी-जयंतिया पहाड़ियाँ](#), [संवधान की छठी अनुसूची](#), पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना

मेन्स के लिये:

पूर्वोत्तर भारत में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय ने **उमयिम झील की सफाई बनाम मेघालय राज्य मामला, 2023** में कहा कि **"किसी अन्य रोजगार अवसर के अभाव में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को क्षति पहुँचाया जाना सर्वथा अनुचित है"**।

- उच्च न्यायालय का यह फैसला **इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता की सुरक्षा करते हुए पर्यटन, बुनियादी अवसंरचना के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने की चुनौती पर प्रकाश डालता है**।

पृष्ठभूमि:

- उमयिम झील की सफाई पर एक **जनहति याचिका** मेघालय उच्च न्यायालय में काफी लंबे समय से लंबित थी।
- उमयिम झील मामला मुख्यतः **झील और जलाशय के आसपास अनियमित निर्माण और पर्यटन के प्रतिकूल प्रभाव** पर केंद्रित था।
- फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट करने की कीमत पर आर्थिक विकास कदापि नहीं होना चाहिये।
- अधिक व्यापक नयियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए जल निकायों के आसपास अनियंत्रित निर्माण के मुद्दे का प्रभावी रूप से हल न करने के लिये उच्च न्यायालय ने **मेघालय जल निकाय (सुरक्षा और संरक्षण) दशा-नरिदेश, 2023** की आलोचना की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकासात्मक चुनौतियाँ और जैवविविधता में संबंध:

- जैवविविधता हॉटस्पॉट:**
 - तेल, प्राकृतिक गैस, खनजि और मीठे जल जैसे **प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वोत्तर भारत एक हरित पट्टी क्षेत्र है**।
 - गारो-खासी-जयंतिया पहाड़ियाँ** और **बरहमपुत्र घाटी** सबसे महत्वपूर्ण जैवविविधता हॉटस्पॉट में से हैं।
 - पूर्वोत्तर भारत इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है**।
- चिंताएँ:**
 - हालाँकि पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक रूप से पर्याप्त विकसित नहीं है, **परंतु वनों की कटाई, बाढ़ और मौजूदा उद्योग इस क्षेत्र में पर्यावरण के लिये गंभीर समस्याएँ पैदा कर रहे हैं**।
 - विकास मंत्रालय द्वारा** किये गए **पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना** का एक पर्यावरणीय मूल्यांकन बताता है कि "पूर्वोत्तर भारत एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तथा जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र और सीमा पार नदी बेसिन में स्थित है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिक्रियात्मक संवेदनशील है।
 - वन-कटाई, खनन**, उत्खनन, **स्थानांतरण खेती** के कारण क्षेत्रों की वनस्पति और जीव दोनों खतरे में हैं।
- कानूनी ढाँचा और चुनौतियाँ:**
 - संवधान की छठी अनुसूची** ज़िला परिषदों को स्वायत्तता प्रदान करती है, जो भूमि उपयोग पर राज्य के अधिकार को सीमित करता है।
 - इस **स्वायत्तता** के परिणामस्वरूप कभी-कभी **अपर्याप्त नियमन** की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसा कि उमयिम झील के मामले में देखा गया है।
 - संवधान के **अनुच्छेद 32 और 226** के तहत जनहति याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता ने **पर्यावरण सुरक्षा को लागू करने में**

महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है।

- **राष्ट्रीय हरति अधिकरण** द्वारा पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिये राज्यों पर जुर्माना लगाना पर्यावरण की सुरक्षा में कानूनी तंत्र की भूमिका को रेखांकित करता है।

पूर्वोत्तर में सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु किये गए प्रयास:

■ पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना:

- **पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (North East Industrial Development Scheme- NEIDS)**, 2017 के भीतर 'नेगेटिव लिस्ट (Negative List)' एक सराहनीय कदम है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पर्यावरण मानकों का पालन करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन मिला।
- यदि कोई इकाई पर्यावरण मानकों का अनुपालन नहीं कर रही है या उसके पास आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं है या संबंधित प्रदूषण बोर्डों की सहमति नहीं है, तो वह **NEIDS के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिये पात्र** नहीं होगी और उसे 'नेगेटिव लिस्ट' में डाल दिया जाएगा।

■ एकट फास्ट फॉर नॉर्थ-ईस्ट:

- 'एकट फास्ट फॉर नॉर्थ-ईस्ट' नीति में न केवल "व्यापार और वाणज्य" बल्कि इस क्षेत्र में "**पर्यावरण एवं पारस्थितिकी**" का संरक्षण भी शामिल होना चाहिये।

■ समान एवं व्यापक पर्यावरण वधिन:

- सभी शासन स्तरों पर पर्यावरणीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये, समान तथा व्यापक पर्यावरण वधिन महत्त्वपूर्ण है।
- इस तरह का कानून नियमों में अंतराल को कम कर देगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक विकास पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संरेखित हो।

उमयिम झील के बारे में मुख्य तथ्य:

- उमयिम झील मेघालय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है जो शिलॉन्ग से लगभग 15 कमी. दूर स्थित है।
- यह झील एक जलाशय है जिसे उमयिम नदी (बारापानी नदी भी कहा जाता है) पर एक बाँध निर्माण परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था।
- बाँध का निर्माण क्षेत्र के लिये जलविद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया गया था।



स्रोत: द हिंदू